न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–79/2013

उनवान

नन्दा उर्फ नन्दलाल पुत्र नारायण उम्र 60 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू जिला जयपुर

–वादी

1. मोहन
2. सोहन
3. महेन्द्र
4. मुकेश पुत्रान स्व0 हनुमान
5. भगवती पत्नी स्व0 हनुमान
   समस्त जाति बलाई, निवासीयान ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसीच चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–22.01.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 136 खसरा नं. 967 रकबा 0.51 है0, खसरा नं. 969 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.26 है0 भूमि ग्राम ढोढसर तहत पटवार हल्का ढोढसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है। जो उक्त भूमि ही वस्तुतः वाद हाजा में विवादित है जिसे वादपत्र के आगे "भूमि विवादग्रस्त" कहा गया है। भूमि विवादग्रस्त वादी की तनहा खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जो दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा जिसके सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त होते वर्तमान में वादी द्वारा भूमि विवादग्रस्त के मौके पर बाजरा, ज्वार की फसल बो रखी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादी के पडौसी खातेदार काश्तकार किन्तु भू–माफिया गिरोह से सम्बन्धित लोग है जो वादी की भूमि विवादग्रस्त पर आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से येन–केन प्रकरेण कब्जा कर लेने की जुस्तजु में आये दिन वादी के खेतों की सींव डोल को काटते सींव पर पूर्व से गड़े पत्थरों को उखाड़ कर वादी को परेशान करते रहते हैं। वादी के विरोध करने पर झगड़ा फसाद अथवा मारपीट करने पर आमदा रहते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी की भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा कर लेने की गरज से अपने भू–माफिया गिरोह की सलाह पर दिनांक 10.06.2013 को प्रातःकाल जबकि वादी अपने खातेदारी भूमि विवादग्रस्त में काश्त कार्य कर रहा था। भूमि विवादग्रस्त के मौके में जबरिया प्रवेश कर वादी को काश्त कार्य करने से मना किया और भूमि विवादग्रस्त

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

की सीमा पर लगे पत्थरों को पुनः उखाडा जाने लगा तो वादी द्वारा प्रतिरोध किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ मारपीट करते हुए एलानियां धमकी दी गई कि वे वादी की भूमि विवादग्रस्त पर आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के लिए भूमि विवादग्रस्त को छोटे–छोटे भू–खण्डों में विभक्त करके रहेंगे और यदि वादी ने बाधा कारित की तो वे उसको जबरिया भूमि विवादग्रस्त के मौके से बेदखल कर भूमि विवादग्रस्त को बेचान कर देंगें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी की भूमि विवादग्रस्त को आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डों में बेचान करने के लिए अवैध कॉलोनी की बसावट करने की प्रक्रिया में भूमि विवादग्रस्त के मौके पर दिनांक 10.06.2013 को दी गई एलानियां धमकी के बाद बाहरी अजनबी लोगों को दिखावा किए जाने एवं भूमि विवादग्रस्त के मौके पर निर्माण प्रक्रिया में अपने साथ मजदूरों को लाया जाकर नींव आदि खोदने की कोशिश की गई जिसका वादी द्वारा विरोध किए जाने पर प्रतिवादीगण के साथ आये मजदूर तो मौके से चले गए किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पुनः चेतावनी देते हुए पुनः भूमि विवादग्रस्त में निर्माण करवा लेने की धमकी दी गई। उक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगणों का कोई अधिकार नहीं है किन्तु अपने नाजायज गिरोह के दबाव में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए उक्त वर्णित कृत्य हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार है। वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम ढोढसर तहत पटवार हल्का ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 136 खसरा नं. 967 रकबा 0.51 है0, खसरा नं. 969 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.26 है0 है। जो वादी की तन्हा खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी के शांतीपूर्वक काश्त कर उपयोग उपभोग करने में बाधा अथवा कोई व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही प्रतिवादीगण वादी की भूमि विवादग्रत में जबरिया प्रवेश करें, ना ही वादी की भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार अतिक्रमण करें, ना ही आवासीय उपयोग हेतु कच्चा पक्का निर्माण आदि करवायें, ना ही भूमि विवादग्रस्त के मौके पर किसी प्रकार की निर्माण सामग्री एकत्रित करें ना ही अन्य से अन्य से निर्माण संबंधि कोई कार्य करवायें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को खुर्द–बुर्द करें। ना ही सीमा पर पूर्व से लगे पत्थर आदि को उखाडे, ना ही किसी दीगर को जबरिया भूमि विवादग्रस्त के अन्दर अथवा सीमा पर कब्जा सम्भलायें। ना ही उक्त समस्त कृत्य अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। वादी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदारों के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में सहखातेदार नहीं हैं। न्यायालय अभिमत में हम उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते हैं।

अतः उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में रहते हुए काश्त करते रहेंगे, एक–दूसरे की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करेंगे, ना ही एक–दूसरे की सींव–डोल को खुर्द–बुर्द करेंगे व ना ही एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में कोई निर्माण कार्य करेंगे तथा एक–दूसरे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करेंगे। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–79 / 2013
उनवान– नन्दा उर्फ नन्दलाल बनाम मोहन वगै0
निर्णय दिनांक–

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0–79 / 2013

उनवान

नन्दा उर्फ नन्दलाल पुत्र नारायण उम्र 60 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं जिला जयपुर

–वादी

1. मोहन
2. सोहन
3. महेन्द्र
4. मुकेश पुत्रान स्व0 हनुमान
5. भगवती पत्नी स्व0 हनुमान

   समस्त जाति बलाई, निवासीयान ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसीच चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल पाई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई सामने श्री विष्णु कुमार गोयल–I आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में रहते हुए काश्त करते रहेंगे, एक–दूसरे की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करेंगे, ना ही एक–दूसरे की मैंढ–डोल को खुर्द–बुर्द करेंगे व ना ही एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में कोई निर्माण कार्य करेंगे तथा एक–दूसरे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करेंगे। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।

मिसी ____ मवलिक ______ बाबत ________खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....
__________ फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ...... को अदा करें।

आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 22.01.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)
ओहदा..........

मुकदमा सं0–79/2013
उनवान– नन्दा उर्फ नन्दलाल बनाम मोहन वगै0
निर्णय दिनांक–

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner